

न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)पीठासीन अधिकारी - तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 071/2020(रि.वि.) (GCMS 2020/00112)	दायर दिनांक 03.03.2020	निर्णय दिनांक 21.09.2021
--	---------------------------	-----------------------------

अनयान

मैसर्स वण्डर सीमेंट लि., पंजीकृत कार्यालय मकराना-रोड, मदनगंज किशनगढ़, जिला अजमेर मुख्यालय-17, ओल्ड फतेहपुरा, उदयपुर (राज.) तथा आर. के. नगर, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) जंरिये प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रार्थी**बनाम**

1. लक्ष्मण पिता प्रताप जाति चमार उच्च वयस्क निवासी मालिया खेडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. नन्दा पिता वेणा जाति चमार निवासी मालिया खेडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. शाखा प्रबंधक बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा लसडावन तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :- अमित नाहर
अनिल चौधरी
दिलीप जैन

अधिवक्ता प्रार्थी
अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1, 2
अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 89 (4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

--:: निर्णय ::--

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 (4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी कम्पनी वण्डर सीमेंट लिमिटेड को तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ में सीमेंट प्लांट स्थापित किये जाने हेतु राज्य सरकार के खान विभाग ने एम.एम.(डी.आर.) एक्ट 1957, एम.एम.(डी.आर.) (संशोधन) एक्ट 2015, खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन्स उर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम 2016 एवं खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 22 के अन्तर्गत खनिज लाइम स्टोन (सीमेंट-ग्रेड) की आपूर्ति हेतु निकट ग्राम कारुण्डा, पायरी, धनोरा, मालिया खेडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ की 255.0030 हैक्टेयर भूमि के लिये खनन-पट्टा अनुदान स्वीकृत किया है, जिसकी अनुपालना में प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा लीज-डीड संख्या 73/2011 दिनांक 06.04.2018 को निष्पादित होकर उप पंजीयक निम्बाहेडा द्वारा पंजीयन की गई है। प्रार्थी कम्पनी उक्त स्वीकृत लीज क्षेत्र में स्थित खातेदारी की भूमि का मुआवजा निर्धारित करा कर खनन कार्य करना चाहती है।



८३
(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

विपक्षीगण की खातेदारी एवं कब्जेयाबी की ग्राम मालिया खेडी तहसील निम्बाहेडा में खाता नम्बर 92 में उल्लेखित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 31 कुल क्षेत्रफल 0.08 हैक्टेयर में से कुल क्षेत्रफल 0.06 हैक्टेयर खसरा नम्बर 36 कुल क्षेत्रफल 0.16 हैक्टेयर में से कुल क्षेत्रफल 0.13 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 49 कुल क्षेत्रफल 0.34 हैक्टेयर में से कुल क्षेत्रफल 0.12 हैक्टेयर भूमि में विपक्षीगण का सम्पूर्ण हक व हिस्सा निहित है। विपक्षीगण की खातेदारी एवं कब्जेयाबी की ग्राम मालिया खेडी तहसील निम्बाहेडा की प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 31 क्षेत्रफल 0.08 हैक्टेयर में से पश्चिम दिशा की ओर से क्षेत्रफल 0.06 हैक्टेयर खसरा नम्बर 36 कुल क्षेत्रफल 0.16 हैक्टेयर में से पश्चिम दिशा की ओर से क्षेत्रफल 0.13 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 49 कुल क्षेत्रफल 0.34 हैक्टेयर में पश्चिम दिशा की ओर से क्षेत्रफल 0.12 हैक्टेयर कृषि भूमि की प्राथी प्रार्थी कम्पनी को खनन कार्य हेतु आवश्यकता है। प्रार्थी कम्पनी को सीमेंट उद्योग के लिये कच्चा माल लाइम स्टोन (सीमेण्ट ग्रेड) की आपूर्ति हेतु खनन-कार्य के लिये प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 31 क्षेत्रफल 0.08 हैक्टेयर में से पश्चिम दिशा की ओर से क्षेत्रफल 0.06 हैक्टेयर खसरा नम्बर 36 कुल क्षेत्रफल 0.16 हैक्टेयर में से पश्चिम दिशा की ओर से क्षेत्रफल 0.13 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 49 कुल क्षेत्रफल 0.34 हैक्टेयर में से पश्चिम दिशा की ओर से क्षेत्रफल 0.12 हैक्टेयर हिस्सा निहित है, उक्त कृषि भूमि की मुआवजा राशि निर्धारित किये बिना प्रार्थी कम्पनी को सीमेण्ट उत्पादन हेतु आवश्यक कच्चा माल प्राप्त नहीं हो सकेगा, जिससे प्रार्थी कम्पनी द्वारा सीमेण्ट उत्पादन किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा और सीमेण्ट उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसलिये राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89(4) के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कृषि भूमि को खनन कार्य हेतु उपयोग में लेने के लिये इसकी मुआवजा राशि का निर्धारण करना आवश्यक है। विपक्षीगण के खातेदारी एवं कब्जेयाबी की उक्त कृषि भूमि प्रार्थी कम्पनी के खनन क्षेत्र में स्थित होने से विपक्षीगण द्वारा इस भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग एवं उपभोग नहीं हो सकेगा प्रार्थी कम्पनी विपक्षीगण को उसके हक एवं हिस्से के अनुसार उक्त भूमि की मुआवजा राशि का भुगतान कर कब्जा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा सुचारु रूप से सीमेण्ट उत्पादन हेतु खनन प्रयोजनार्थ प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कृषि भूमि की आवश्यकता होने से प्रार्थी कम्पनी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89(4) के अनुसार विपक्षीगण की उक्त भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण कराने की अधिकारिणी है। प्रार्थी कम्पनी माननीय न्यायालय द्वारा पारित अर्वाइ के अनुसार विपक्षीगण को उक्त भूमि की मुआवजा राशि का भुगतान करने हेतु तत्पर एवं तैयार है। विपक्षीगण उक्त भूमि की मुआवजा राशि प्राप्त कर अन्यत्र भूमि क्रय कर सकेंगे जिससे विपक्षीगण को किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। अतः प्रार्थना पत्र में उल्लेखित भूमि के लिये राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89(4) के अन्तर्गत खनन प्रयोजनार्थ मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाना न्यायोचित है। विपक्षी संख्या 1 व 2 ने विपक्षी संख्या 3 बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा लसडावन से ऋण प्राप्त कर खाता नम्बर 31 में उल्लेखित कृषि भूमि को बैंक के यहां रहन रखा है। भूमि बैंक के यहाँ रहन होने एवं विपक्षी संख्या 1 से 2 विपक्षी संख्या 3 के



२३
(सारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

बकाया ऋण राशि की अदायगी हेतु उत्तरदायी होने से बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा लसडावन को प्रकरण में विपक्षी संख्या 3 बनाकर यह आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित ग्राम मालिया खेड़ी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित विपक्षीगण की कृषि वृक्ष भूमि के खसरा नम्बर 31 क्षेत्रफल 0.08 हैक्टेयर में से पश्चिम दिशा की ओर से क्षेत्रफल 0.06 हैक्टेयर खसरा नम्बर 36 कुल क्षेत्रफल 0.16 हैक्टेयर में से पश्चिम दिशा की ओर से क्षेत्रफल 0.13 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 49 कुल क्षेत्रफल 0.34 हैक्टेयर में पश्चिम दिशा की ओर से क्षेत्रफल 0.12 हैक्टेयर हिस्सा निहित है। उक्त भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण कराया जाकर अवार्ड पारित फरमाया जावे विपक्षी संख्या 1 एवं 2 की विपक्षी संख्या 3 के जिम्मे की बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश प्रदान करते हुए उक्त खनन क्षेत्र की भूमि का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को दिलाया जावे। राजस्व अभिलेखों में उक्त भूमि कृषि भूमि वण्डर सीमेंट लिमिटेड के नाम खनन प्रयोजनार्थ दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया एवं उप पंजीयक निम्बाहेडा से उक्त ग्राम की सिंचित/असिंचित कृषि भूमि की सडक के पास अथवा दूर आबादी एवं तहसीलदार निम्बाहेडा से आराजीयात जैरबहस के संबंध में आबादी से दूरी की स्थिति, भूमि में स्थित संरचना, निर्माण, वृक्ष, पत्थर कोट आदि की मौका रिपोर्ट पक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट के निर्देश दिये गये। इस पर दिनांक 03.11.2020 को अप्रार्थी संख्या 3 की और से अधिवक्ता दिलीप जैन हाजिर आये एवं अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 16.03.2021 को अप्रार्थीगण की और से अधिवक्ता अनिल चौधरी हाजिर आये एवं अधिकार पत्र प्रस्तुत किया जो कि शामिल पत्रावली है। दिनांक 10.08.2021 को अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब व क्लेम के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 08.09.2021 को अधिवक्ता अप्रार्थी ने अप्रार्थीगण की और से जवाब क्लेम पेश किया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 14.09.2021 को अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत प्रारम्भिक आपत्ति को सारहीन होने से खारीज किया गया।

प्रकरण में उप पंजीयक निम्बाहेडा द्वारा पत्रांक/पंजीयन/2020/119 दिनांक 19.03.2020 से ग्राम मालिया खेड़ी तहसील निम्बाहेडा की कृषि भूमि की वर्तमान प्रचलित बाजार दर प्रति हैक्टेयर प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा पत्रांक/राजस्व/2020/632 दिनांक 05.08.2020 से प्रकरण में मौका रिपोर्ट दिनांक 23.07.2020 प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

दिनांक 14.09.2021 को अधिवक्ता द्वारा बहस पत्रावली को सुना गया। सर्वप्रथम अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि प्रार्थी कम्पनी वण्डर सीमेंट लिमिटेड को तहसील निम्बाहेडा में सीमेंट प्लॉन्ट स्थापित किये जाने हेतु राज्य सरकार के खान विभाग ने एम.एम.(डी.आर.) एक्ट



(सारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

1957, एम.एम.(डी.आर.) (संशोधन) एक्ट 2015, खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन्स उर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम 2016 एवं खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 22 के अन्तर्गत खनिज लाइम स्टोन (सीमेंट-ग्रेड) की आपूर्ति हेतु निकट ग्राम कारुण्डा, पायरी, धनोरा, मालिया खेडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ की 255.0032 हैक्टेयर भूमि के लिये खनन-पट्टा अनुदान स्वीकृत किया है, जिसकी प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा लीज-डीड संख्या 73/2011 दिनांक 06.04.2018 को निष्पादित होकर उप पंजीयक निम्बाहेडा द्वारा पंजीयन की गई है। प्रार्थी कम्पनी उक्त स्वीकृत लीज क्षेत्र में विपक्षीगण की खातेदारी एवं कब्जेयाबी की कृषि भूमि प्रार्थी कम्पनी को खान कार्य हेतु आवश्यकता है। प्रार्थी कम्पनी के उक्त खनन क्षेत्र में विपक्षी की खातेदारी एवं कब्जेयाबी की कृषि भूमि प्रार्थी कम्पनी की स्वीकृत लीज क्षेत्र में स्थित होने से प्रार्थी कम्पनी को सीमेंट उद्योग के लिये कच्चा माल लाइम स्टोन (सीमेंट ग्रेड) की आपूर्ति हेतु खनन-कार्य हेतु आवश्यकता है। विपक्षीगण की हक एवं हिस्से की खातेदारी की उक्त कृषि भूमि की मुआवजा राशि निर्धारित किये बिना प्रार्थी कम्पनी को सीमेंट उत्पादन हेतु आवश्यक कच्चा माल प्राप्त नहीं हो सकेगा, जिससे प्रार्थी कम्पनी द्वारा सीमेंट उत्पादन किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा और सीमेंट उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसलिये राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89(4) के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कृषि भूमि को खनन कार्य हेतु उपयोग में लेने के लिये इसकी मुआवजा राशि का निर्धारण करना आवश्यक है। इस पर विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि प्रार्थी विपक्षी की जमीन कानून के नाजायज प्रावधानों का लाभ उठा कर हड़पना चाहती है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी के पास खनन की काफी भूमि पडी हुई है। जिस पर वह खनन कार्य कर रही है। विपक्षी की भूमि की कोई आवश्यकता नहीं है वर्तमान में 30-35 लाख रुपये खनन क्षेत्र में अन्य कम्पनियां दे रही है। उसी अनुसार यदि भूमि लेने की आवश्यकता हो तो प्रार्थी कम्पनी से विपक्षी को दिलाई जावे। विपक्षी के पास उक्त भूमि के अलावा जीवन यापन का कोई साधन नहीं है ऐसी स्थिति में विपक्षीगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी और बाजार रेट से 3500000/- रुपये प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा दिलाया जावे तो अन्य जगह भूमि क्रय कर सकेगा। अगर अवार्ड बनाना आवश्यक हो तो मुझ विपक्षी को बाजार दर से 3500000/- रुपये प्रति बीघा के हिसाब से एक मुश्त अवार्ड राशि दिलाई जावे ताकि विपक्षी द्वारा अन्यत्र जगह भूमि क्रय की जा सके अन्यथा विपक्षी द्वारा आजीविका का एक मात्र साधन होने से भूमि नहीं छिनी जावे और खेती बाडी करने दी जावे। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र समाप्त की। इसके साथ ही विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि विपक्षी बैंक के यहा भारग्रस्त एवं रहन कर विपक्षी संख्या 1 व 2 ने किसान क्रेडिट कार्ड एवं सरल कृषि ऋण सुविधा ले रसी है। इस ऋण की अदायगी का भार इन आराजीयात पर होने से विपक्षी संख्या 1 व 2 के जिम्मे की बकाया ऋण राशि की अदायगी होने पर ही यह आराजीयात भारमुक्त हो पायेगी। इसलिये प्रकरण में निर्धारित किये जाने वाली मुआवजा राशि का भुगतान विपक्षी बैंक को किया जाना



(सारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

आवश्यक है। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 ने अपनी बहस समाप्त की। इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थी कम्पनी न्यायालय द्वारा पारित अर्वाइ के अनुसार विपक्षीगण को उक्त भूमि की मुआवजा राशि प्राप्त कर अन्यत्र भूमि क्रय कर सकेंगे जिससे विपक्षीगण को किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। अतः प्रार्थना पत्र में उल्लेखित भूमि के लिये राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89(4) के अन्तर्गत खनन प्रयोजनार्थ मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाना न्यायोचित है। उक्त भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण कराया जाकर अर्वाइ पारित फरमाया जावे विपक्षी संख्या 1 एवं 2 की विपक्षी संख्या 3 के जिम्मे की बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश प्रदान करते हुए उक्त खनन क्षेत्र की भूमि का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को दिलाया जावे। राजस्व अभिलेखों में उक्त भूमि कृषि भूमि वण्डर सीमेंट लिमिटेड के नाम खनन प्रयोजनार्थ दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने तर्क की पुष्टि में न्यायिक दृष्टांत RRD 2020 पेज संख्या 290 प्रस्तुत कर न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन कराया। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। तहसीलदार निम्बाहेडा से प्राप्त मौका रिपोर्ट का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। उप पंजीयक निम्बाहेडा से प्राप्त प्रचलित बाजार दरों का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा की गई बहस पत्रावली एक तरफा का चिंतन-मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। हमने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 के प्रायधानों का अवलोकन किया।

89 Right of minerals, mines, quarries and fisheries -

- 1 The right to all minerals, mines and quarries and to all fisheries, navigation and irrigation in and from, a river shall vest in the State Government and the State Government shall, have all powers necessary for the enjoyment of such a right.
- 2 The right to all mines and quarries includes the right of access to land for the purpose of mining and quarrying and the right to occupy such other land as may be necessary for purposes subsidiary thereto, including the erection of offices, workmen's dwellings and machinery. The staking of minerals and deposit of refuse, the construction of roads, railways or tram lines, and any other purposes which the State Government may declare to be subsidiary to mining and quarrying.
- 3 If the State Government has assigned to any person its right over any minerals, mines or quarries, and if for the proper enjoyment of such right, it is necessary that all or any of the powers specified in sub-sections (1) and (2) should be exercised by such person, the Collector may, by an order in writing, subject to such conditions and reservations as he may prescribe; delegate such powers to the person to whom the right has been assigned: Provided that no such delegation shall be made until notice has been duly served on all persons having rights in the land effected and their objection have been heard and considered.



५ ३

(सारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

- 4 If, in the exercise of the right herein referred over any land, the rights of any persons are infringed by the occupation or disturbance of the surface of such land, the State Government or its assignee shall pay to such persons compensation for such infringement and the amount of such compensation shall be calculated by the Collector, or, if this award is not accepted, by the civil court, as nearly as may be in accordance with the provisions of the Rajasthan Land Acquisition Act, 1953 (Rajasthan Act XXIV of 1953).
- 5 No assignee of the State Government shall enter on or occupy the surface of any land without the previous sanction of the Collector, unless the compensation has been determined and tendered to the person whose rights are infringed.
- 6 If any assignee of the State Government fails to pay compensation as provided in sub-section (4), the Collector may recover such compensation from him on behalf of the person entitled to it, as if it were an arrear of land revenue.
- 7 Any person who without lawful authority extracts or removes minerals from any mine or quarry, the right to which vests in and has not been assigned by the State Government, shall without prejudice to any other section that may be taken against him liable, on the order in writing of the Collector to pay a penalty not exceeding a sum calculated at the rate of fifty rupees per ton, or a fraction thereof, of the minerals so extracted or removed:
Provided that if the sum so calculated is less than one thousand rupees, the penalty may be such larger sum not exceeding one thousand rupees as the Collector may impose.

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 के अन्तर्गत से स्पष्ट है कि उक्त प्रार्थना पत्र की क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पोषणीय पाया है। अधिनियम की धारा 89(2) के अनुसार सभी खानों और खदानों के अधिकार में खनन और उत्खनन के उद्देश्य के लिए भूमि तक पहुंच का अधिकार और कार्यालयों, कामगारों के आवास और मशीनरी के निर्माण सहित अन्य सहायक भूमि पर कब्जा करने का अधिकार शामिल है। खनिजों को जमा करना और कचरा जमा करना, सड़कों, रेलवे या ट्राम लाइनों का निर्माण, और कोई अन्य उद्देश्य जिसे राज्य सरकार खनन और उत्खनन के लिए सहायक घोषित कर सकती है। इसके साथ अधिनियम की धारा 89(4) अनुसार किसी भी भूमि पर निर्दिष्ट अधिकार के प्रयोग में, किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन ऐसी भूमि की सतह के कब्जे या गड़बड़ी से होता है, तो राज्य सरकार या उसका समनुदेशिनी ऐसे व्यक्तियों को इस तरह के उल्लंघन के लिए मुआवजे का भुगतान करेगा और ऐसे मुआवजे की राशि की गणना कलक्टर द्वारा की जाएगी। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी कम्पनी द्वारा खनन कार्य में अप्रार्थीगण की कृषि भूमि प्रार्थी कम्पनी की माईनिंग लीज एरिया में स्थित होकर कम्पनी को उक्त भूमि की खनन प्रयोजनार्थ आवश्यकता होने से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं अप्रार्थीगण की खालेदारी एवं कब्जेचाबी की कृषि भूमि को खनन प्रयोजनार्थ से भूमि का उचित मुआवजा निर्धारण किया जाना उचित प्रतीत होता है।



२
(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

कृषि भूमि को खनन प्रयोजनार्थ लिये जाने के संबंध में हमने पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात आराजी संख्या 31 रकबा 0.08 हैक्टेयर में से पश्चिम दिशा की ओर से क्षेत्रफल 0.06 हैक्टेयर, आराजी संख्या 36 रकबा 0.16 हैक्टेयर में से पश्चिम दिशा की ओर से क्षेत्रफल 0.13 हैक्टेयर व आराजी संख्या 49 रकबा 0.34 हैक्टेयर में से पश्चिम दिशा की ओर से क्षेत्रफल 0.12 हैक्टेयर कृषि भूमि में स्थित संरचना व उनकी कीमत का विवरण प्रस्तुत किया गया है जो कि निम्नानुसार है :-

क्रमांक	संरचना विवरण	कीमत संरचना(रुपये में)
1.	वृक्ष	27000
2.	पत्थर कोट (कच्ची)	12000
3.	फसल	10000
संरचनाओं का कुल योग		49000

हमने उप पंजीयक निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तुत की गई इस ग्राम की सिंचित/असिंचित/बीड़ भूमि की आबादी एवं सड़क से पास तथा दूर की जिला दर निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित दरों का अवलोकन किया। उप पंजीयक द्वारा इस भूमि की उच्चतम सिंचित, सड़क व आबादी के पास की दर 13,15,278/-रुपये प्रति हैक्टेयर होना बताया है, किन्तु हम भूमि का खनन प्रयोजनार्थ हेतु उपयोग में लिये जाने से जिला दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित दरों की दुगुनी दर 26,30,556/-रुपये प्रति हैक्टेयर से भूमि का मुआवजा निर्धारित करना उचित मानते हैं।

ग्राम	आराजी नम्बर	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	निर्धारित मुआवजा दर प्रति हैक्टेयर (रुपये में)	देयराशि (रुपये में)
मालिया खेडी	31	0.08 हैक्टेयर में से पश्चिम दिशा की ओर 0.06 हैक्टेयर	2630556	157834
मालिया खेडी	36	0.16 हैक्टेयर में से पश्चिम दिशा की ओर 0.13 हैक्टेयर	2630556	341973
मालिया खेडी	49	0.34 हैक्टेयर में से पश्चिम दिशा की ओर 0.12 हैक्टेयर	2630556	315667
कुल किता - 3		कुल क्षेत्रफल 0.31 हैक्टेयर	कीमत संरचना	49000
			योग	864474
			100 % सोलिडियम	864474
			कुल देय राशि	1728948
अक्षरे सत्रह लाख अठईस हजार नौ सौ अठतालिस रुपये मात्र/-				

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89(4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है एवं उपरोक्त तालिका अनुसार अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेयाबी की कृषि भूमि का खनन प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाने हेतु भूमि का मुआवजा निर्धारण किया जाता है। इसके साथ ही भूमि वर्तमान में रहन दर्ज रिकार्ड है, जिससे आराजीयात को



ES
(सारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

भारमुक्त कराया जाना आवश्यक है अतः प्रार्थी कम्पनी उपरोक्त राशि के भुगतान हेतु दो पृथक्-पृथक् बैंक संबंधित बैंक एवं खातेदार के नाम, तहसीलदार निम्बाहेडा को उपलब्ध करावें। तहसीलदार उक्त आराजी के संबंध में राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार एवं वर्तमान कब्जे के संबंध में संतुष्टि के उपरांत संबंधित को राशि का भुगतान कर प्रमाणित करेंगे। उपरोक्त भूमि खनन कार्य करने हेतु उपयोग में लिये जाने से तहसीलदार द्वारा सरफेस रेंट राशि प्रार्थी कम्पनी से वसूल कर भूमि को बिलानाम खनन कार्य करने हेतु प्रार्थी कम्पनी के नाम अंकन करने के पश्चात् प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रचलित नियमों, निर्देशों, लीज डीड व विभागीय परिपत्रों के तहत भूमि खनन कार्य करने हेतु उपयोग में ली जा सकेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार निम्बाहेडा को नियमानुसार पालना बाबत भिजवाई जावें। पत्रायली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावें।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 21.09.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।



२१
(त.शारधरद्वीपी)
जिल्लाकलकट्ट,
चित्तीडगढ़